न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,

(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।

उपस्थितः **बृजेश कुमार यादव, (उच्चतर न्यायिक सेवा)**,

JO Code No. UP 1605

UPBH010057662025

सत्र परीक्षण संख्या 1147/2025

सरकार ------अभियोगी

प्रति

मथुरा, उम्र 49 वर्ष, पुत्र सुन्दर, निवासी मुसगढ़ा, थाना दरगाह शरीफ, जिला बहराइच।
--------अभियुक्त

अपराध संख्या– 220/2009
धारा– 363, 366, 368, 376 भा०दं०सं०
थाना– दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच।

निर्णय

1. पुलिस थाना–दरगाह शरीफ, बहराइच द्वारा अभियुक्तगण कुँवारे व मथुरा के विरुद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366, 368, 376 भा०दं०सं० प्रस्तुत करके अभियोजित एवं दण्डित किये जाने की याचना की गयी जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेकर मामले को सत्र परीक्षणीय पाते हुए सत्र न्यायालय में उपार्पित किया गया।

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 क में उल्लिखित उपबन्धों एवं **ओम प्रकाश बनाम उ०प्र० राज्य 2006(4) सुप्रीम कोर्ट 313** एवं **प्रेमिया बनाम राजस्थान राज्य 2008 (63) एस०सी०सी० 94 सुप्रीम कोर्ट** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं करना है। अतः उसे "पीड़िता" नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा बाबादीन द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में यह कथन किया गया है कि वादी के घर कुँवारे का काम धन्धा के सम्बन्ध में आना–जाना रहता था। दिनाँक 27.12.2008 को घर पर वादी की लड़की पीड़िता उम्र करीब 14 वर्ष अकेली थी, जिसे कुंवारे बहला–फुसला कर भगा ले गया है। कुँवारे को वादी की लड़की पीड़िता के साथ सासरपारा चौराहे पर वादी के गाँव के छोटकऊ व कृपाराम तथा स्वामीदयाल ने देखा था। शाम को जब वादी घर लौटा तो घर पर लड़की नहीं मिली जब पता किया तब गवाहों ने पीड़िता को कुंवारे के साथ जाते हुए देखा बताया था। तब से वादी अपनी लड़की की तलाश कर रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है।

4. वादी की तहरीर के बावत थाना– दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच में मुकदमा

अपराध संख्या– 220/2009, धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता कायम हुआ। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, गवाहान का बयान अंकित किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए बाद विवेचना अभियुक्तगण कुंवारे व मथुरा के विरुद्ध धारा 363, 366, 368, 376 भा०दं०सं० में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

5. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को नकलें अन्तर्गत धारा 207 दं०प्र०सं० प्रदान की गयी।

6. अभियुक्तगण कुंवारे व मथुरा के विरूद्ध दिनांक 10.09.2014 को धारा 363, 366, 368, 376 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुए परीक्षण की मांग की। दिनाँक 22.08.2025 को अभियुक्त मथुरा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त मथुरा की पत्रावली को पृथक किया गया है।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्रम संख्या	**साक्षीगण का नाम**	
1–	पी०डब्लू० 1	बाबादीन (वादी मुकदमा)
2–	पी०डब्लू० 2	पीड़िता
3–	पी०डब्लू० 3	छोटकऊ (तथ्य का साक्षी)
4–	पी०डब्लू० 4	स्वामी दयाल (तथ्य का साक्षी)
5–	पी०डब्लू० 5	कृपाराम (तथ्य का साक्षी)

8. अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों के माध्यम से निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों को साबित कराया गया, जिस पर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये–

तहरीर	प्रदर्श क–1
बयान पीड़िता धारा 164 दं०प्र०सं०	प्रदर्श क–2

तथा निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया, जिस पर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये–

प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–3
जी०डी० कायमी	प्रदर्श क–4
नक्शा नजरी	प्रदर्श क–5
मेडिकोलीगल रिपोर्ट	प्रदर्श क–6
रेडियोलाजी रिपोर्ट	प्रदर्श क–7

पूरक मेडिकल रिपोर्ट	प्रदर्श क–8
आरोप पत्र	प्रदर्श क–9

उक्त के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि अभियोजन कथानक गलत है। सहअभियुक्त कुंवारे से वादी मुकदमा की जमीनी रंजिश थी, क्योंकि वादी मुकदमा के गाँव में सहअभियुक्त कुंवारे को ननिहाल में धन मिला था। सहअभियुक्त अभियुक्त मथुरा के छोटे भाई का साला होने से रिश्तेदारी थी इसलिए उसको भी मुकदमे में फंसा दिया गया है।

10. मैनें विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

11. अभियोजन अधिकारी द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त कुंवारे के साथ मिलकर पीड़िता को बहला–फुसला कर शादी करने व अयुक्त सम्भोग हेतु विलुब्ध करने के उद्देश्य से उसकी विधिक संरक्षकता से व्यपहृत किया गया तथा व्यपहृत करने के पश्चात उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए बलात्कार किया। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366, 368, 376 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

12. खण्डनस्वरूप अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं की है। अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

13. न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 27.12.2008 को समय अदम तहरीर, बहद ग्राम ललगड़हा, थाना दरगाह शरीफ, जिला बहराइच के अन्तर्गत अभियुक्त ने सहअभियुक्त कुंवारे के साथ मिलकर वादी मुकदमा बाबादीन की अवयस्क पुत्री पीड़िता को बहला–फुसला कर शादी करने व अयुक्त सम्भोग हेतु विलुब्ध करने के उद्देश्य से उसकी विधिक संरक्षकता से व्यपहृत किया गया, सदोष परिरोध में रखा तथा व्यपहृत करने के पश्चात उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए बलात्कार किया, इस प्रकार अभियुक्त द्वारा धारा 363, 366, 368, 376 भा०दं०सं० का अपराध किया गया है?

14. **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363** किसी व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के लिए दण्ड का प्राविधान करती है, **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366** विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करने, अपहृत करने या उत्प्रेरित करने के लिए दण्ड का प्राविधान करती है तथा **भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 368** अपहृत किये गये व्यक्ति को अवैध रूप से कैद में रखने के लिए दण्ड़ का प्राविधान करती है।

15. अवधार्य बिन्दु पर निष्कर्ष दिये जाने से पूर्व पत्रावली पर प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

16. अग्रेतर चर्चा से पूर्व यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि भारतीय परिस्थितियों में **एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धान्त** लागू नहीं होता है। ऐसी

परिस्थितियों में न्यायालय इस दायित्व के अधीन होता है कि वह भूसे के ढेर से सत्य के स्वीकार्य दाने पृथक करे। इस सम्बन्ध में निर्णयज विधियों का उद्धरण लिया जाना भी उचित प्रतीत होता है। **Kulvinder Singh Vs State of Punjab, AIR 2007 SC 2868** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि "Principle of false in one false in all, cannot be applied in "falsus in uno, falsus in omnibus" relation to deposition of a witness who has been found lying on a particular fact and whose remaining part of testimony is otherwise truthful. Even if major portion of evidence of a witness is found deficient but residue is sufficient to prove the guilt of the accused, notwithstanding the acquittal of number co-accused, conviction can be recorded of some accused persons. It is duty of Court to shift grain from chaff." प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के आलोक में संगत विषय पर उभय पक्ष के तर्कों के संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि किसी आपराधिक घटना के साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता को परखने के लिए साक्षीगण को तीन प्रकृति अर्थात पूर्णतया विश्वसनीय साक्षी, अंशतः विश्वसनीय साक्षी एवं पूर्णतया अविश्वसनीय साक्षी के रूप में परिभाषित किया गया है। साक्ष्य की विश्वसनीयता को परखने के लिए घटनास्थल पर साक्षीगण की उपस्थिति, उनके साक्ष्य की सहजता, घटना के वर्णन, साक्षीगण के परिवेश एवं आचरण इत्यादि को विचार में लेना होता है।

17. अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 1 के रूप में वादी मुकदमा बाबादीन** को परीक्षित कराया गया है, उसने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कहा है कि पीड़िता वादी की लड़की है। जिसकी उम्र घटना के समय लगभग 14 वर्ष थी। घटना आज (बयान तिथि) से लगभग छह वर्ष पूर्व की है। वादी की लड़की पीड़िता को वादी के गाँव के कुँवारे पुत्र मिलन बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गये। वादी की लड़की को कुँवारे पुत्र मिलन कहीं भगा ले गये हैं। वादी की लड़की को भगाते हुए वादी के गाँव के छोटकऊ पुत्र काशीराम तथा कृपाराम, स्वामीदयाल पुत्र विशेश्वर ने कुँवारे के साथ सासापारा चौराहा पर देखा है। वादी ने अपनी लड़की को तमाम तलाश किया था, लेकिन वादी की लड़की नहीं मिली। घटना वाले दिन वादी अपने खेत में फसल की सिंचाई कर रहा था। वापस आने पर वादी को पीड़िता के गायब की सूचना मिली। इस घटना की तहरीर किसी से लिखवाकर पढ़वाकर अपने निशानी अँगूठा लगाकर थाने पर दिया था, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पत्रावली में शामिल मिसिल तहरीर को दिखाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया तो वादी ने कहा यह वही तहरीर है जो वादी ने अपनी लड़की पीड़िता के भगाये जाने पर थाने पर दिया था। उस पर लगा अंगूठा वादी का है। इस पर **प्रदर्श क-1** डाला गया।

वादी मुकदमा ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में यह कथन किया है कि वादी की लड़की पीड़िता को किसी ने भगाया नहीं था। गाँव के लोगों के कहने के मुताबिक वादी ने कुँवारे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवा दिया था। घटना के समय वादी अपने खेत पर था। किसने लड़की को भगाया था, वादी ने नहीं देखा था। हाजिर अदालत कुँवारे ने वादी की लड़की को बहला-फुसला कर नहीं भगाया था। वादी की लड़की रिश्तेदारी में गयी थी, वह बाद में वापस आ गयी थी। मुल्जिम मथुरा को वादी जानता पहचानता है, इनका इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही वादी की लड़की को भगाने में मथुरा का कोई हाथ है। वादी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि कुँवारे का पैसा वादी के ऊपर बाकी था, उसे पैसा न देना पड़े इसलिये यह झूँठा मुकदमा लिखाया था। यह कहना गलत है कि कुँवारे को नीचा दिखान के लिए झूँठा मुकदमा लिखाया था।

18. अभियोजन द्वारा **पी०डब्लू० 2 के रूप में पीड़िता** को परीक्षित कराया गया है। पीड़िता ने अपने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आज (बयान तिथि) से लगभग 06 साल पहले पीड़िता के पिता जी ने पीड़िता को मारा व डाँटा था, जिससे नाराज होकर पीड़िता अपने मामा के घर पुलिस लाइन बहराइच चली आई और मामा के यहाँ रुक गयी थी। जिस समय पीड़िता अपने मामा के घर आई थी उस समय पीड़िता के माता–पिता घर पर मौजूद नहीं थे। मुल्जिम कुँवारे काम धन्धे के बाबत कभी–कभी पीड़िता के घर आता था। इसीलिए सन्देह के बिना पर पीड़िता के पिता ने कुँवारे द्वारा पीड़िता को बहला–फुसलाकर भगाये जाने के बाबत थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। जिससे कुँवारे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया था। मामा के घर से जब पीड़िता अपने पिता के घर जा रही थी, उसी समय पुलिस ने पीड़िता को पकड़ लिया था। पुलिस ने पीड़िता की डाक्टरी करवायी थी और पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी करवाया था। दरोगा जी ने जिस तरह बयान बताया था, उसी तरह का बयान दिया था। पीड़िता के सील बयान लिफाफा खोलकर बयान धारा 164 दं०प्र०सं० खोलकर दिखाया गया तो पीड़िता ने उस पर बने हस्ताक्षर की पहचान किया, उस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। कुँवारे हाजिर अदालत मुल्जिम कुँवारे ने न ही पीड़िता को भगाया था और न ही पीड़िता के साथ कुँवारे ने बलात्कार ही किया था। मुल्जिम हाजिर अदालत मथुरा ने पीड़िता को नेपाल पहुँचाया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में पीड़िता को उसका धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो पीड़िता ने कहा कि दरोगा जी को यही बयान दिया था जो आज अदालत पर दिया है। पीड़िता का दरोगा जी ने यह बयान कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकती। पीड़िता को 164 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो पीड़िता ने कहा कि इस बयान को उसने पुलिस के दबाव में उसके बताने के अनुसार दिया था। पीड़िता ने जिरह में आगे कथन किया है कि इन दोनों मुल्जिमान ने पीड़िता को बहला–फुसला कर भगाया और न ही नेपाल ले गये और न ही मुल्जिमान ने पीड़िता को किसी जगह पर रोका था। पीड़िता मामा के यहाँ चली गयी थी इस बात को घर वापस आने पर अपने पिता को बताया था। अगर पिता जी ने इस बात को अपने बयान में न लिखाया हो तो पीड़िता इसकी कोई वजह नहीं बता सकती है। पीड़िता ने आगे कथन किया है कि यह सही है कि मुल्जिमान के गलत फँस जाने के कारण मुल्जिमान से सुलह हो गयी है, लेकिन यह कहना गलत है कि सुलह हो जाने के कारण न्यायालय पर सही बयान नहीं दे रही है।

उपरोक्त साक्षी/पीड़िता को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी/पीड़िता ने अपने साक्ष्य में अभिकथित घटना से पूर्णतया इन्कार किया है और अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने अथवा कथित घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के तथ्य से इंकार किया है। इसलिये इस साक्षी/पीड़िता का साक्ष्य अभियोजन कथानक के सापेक्ष विश्वसनीय प्रकृति का साक्ष्य नहीं है और तात्विक अन्तरविरोधों से युक्त होने के कारण सम्पुष्टीकरण के बिना साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

19. अभियोजन द्वारा **पी०डब्लू० 3 के रूप में छोटकऊ** को परीक्षित कराया गया है। साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि साक्षी गाँव के बाबादीन व उसकी पुत्री पीड़िता को जानता है। घटना आज (बयान तिथि) से सवा छह साल पूर्व की है। घटना वाले दिन साक्षी लखनऊ गया हुआ था। रात देर समय साक्षी अपने घर पहुँचा तो साक्षी को अफवाहन पता चला कि मथुरा के सहयोग से कुँवारे पीड़िता को उसके घर से कहीं भगा ले गये

हैं। साक्षी ने मथुरा व कुँवारे को पीड़िता को भगाते हुए नहीं देखा है।

साक्षी ने अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया गया है कि विवेचक ने साक्षी का बयान नहीं लिया था। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने इन्कार करते हुए कहा कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, विवेचक ने कैसे लिख लिया, साक्षी इसकी वजह नहीं बता सकता। घटना वाले दिन साक्षी सासापारा नहीं गया था। साक्षी जब लखनऊ गया था तो चित्तौरा होकर गया था और वापस भी चित्तौरा होकर ही आया था। साक्षी ने पीड़िता को मुल्जिम कुँवारे व रीता के साथ कहीं नहीं देखा था। साक्षी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वह मुल्जिमान से मिल गया है इसलिए उनको सजा से बचाने के लिये झूँठा बयान दे रहा है।

उपरोक्त साक्षी को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभिकथित घटना से पूर्णतया इन्कार किया है और अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने अथवा कथित घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के तथ्य से इंकार किया है। इसलिये इस साक्षी का साक्ष्य अभियोजन कथानक के सापेक्ष विश्वसनीय प्रकृति का साक्ष्य नहीं है और तात्विक अन्तरविरोधों से युक्त होने के कारण सम्पुष्टीकरण के बिना साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

20. अभियोजन द्वारा **पी०डब्लू० 4 के रूप में स्वामी दयाल** को परीक्षित कराया गया है। साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि साक्षी मुल्जिमान मथुरा व कुँवारे को जानता है तथा पीड़िता को भी साक्षी जानता है। ये सब साक्षी के गाँव के हैं। घटना वाले दिन अपने डनलप से भूसा लादकर बहराइच बेचने आया था और रात वापस होकर सो गया था। अगले दिन सुबह साक्षी को किसी ने बताया था कि बाबादीन की लड़की पीड़िता को मथुरा के सहयोग से कुँवारे कहीं भगा ले गया है। कुँवारे, मथुरा व पीड़िता से साक्षी की मुलाकात कहीं भी नहीं हुई थी और न ही साक्षी ने इन लोगों को साथ में देखा था।

साक्षी ने अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि विवेचक ने साक्षी का बयान नहीं लिया था। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसन यह बयान विवेचक को नहीं दिया था, विवेचक ने ऐसा बयान कैसे लिख लिया वह इसकी वजह नहीं बता सकता है। साक्षी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वह मुल्जिम के गाँव का होने के कारण उसको बचाने के लिये झूँठी गवाही दे रहा है।

उपरोक्त साक्षी को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभिकथित घटना से पूर्णतया इन्कार किया है और अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने अथवा कथित घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के तथ्य से इंकार किया है। इसलिये इस साक्षी का साक्ष्य अभियोजन कथानक के सापेक्ष विश्वसनीय प्रकृति का साक्ष्य नहीं है और तात्विक अन्तरविरोधों से युक्त होने के कारण सम्पुष्टीकरण के बिना साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

21. अभियोजन द्वारा **पी०डब्लू० 5 के रूप में कृपाराम** को परीक्षित कराया गया है। साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना आज (बयान तिथि) से लगभग सवा छह वर्ष पूर्व की है। साक्षी अपनी भैसों को लेकर चित्तौरा झील के करीब चराने ले गया था और वहाँ से कुछ अन्धेरा होने पर भैसों को लेकर वापस अपने घर आया था। उस दिन साक्षी सासापारा चौराहा नहीं गया था और न ही साक्षी ने बाबादीन के लड़की पीड़िता को कुँवारे के साथ जाते हुए देखा था।

साक्षी ने अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि विवेचक ने साक्षी का बयान नहीं लिया था। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने इन्कार करते हुए कहा कि उसने ऐसा कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था। विवेचक ने ऐसा बयान कैसे लिख लिया, इसकी वजह साक्षी नहीं बता सकता। घटना वाले दिन पीड़िता को कुँवारे के साथ नहीं देखा था। साक्षी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वह मुल्जिम के खर्च पर बयान देने आया है। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमान से पैसा ले लिया है और मुल्जिम को सजा से बचाने के लिये न्यायालय पर झूँठी गवाही दे रहा है।

उपरोक्त साक्षी को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभिकथित घटना से पूर्णतया इन्कार किया है और अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने अथवा कथित घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के तथ्य से इंकार किया है। इसलिये इस साक्षी का साक्ष्य अभियोजन कथानक के सापेक्ष विश्वसनीय प्रकृति का साक्ष्य नहीं है और तात्विक अन्तरविरोधों से युक्त होने के कारण सम्पुष्टीकरण के बिना साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

22. धारा 363 भा०दं०सं० के आरोप के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन यह युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करे कि पीड़िता अगर लड़की है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तथा पीड़िता को अभियुक्त उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से उसकी स्वेच्छा के बिना ले जाता है अथवा बहका कर ले जाता है।

घटना के समय पीड़िता की उम्र के निर्धारण के संबन्ध में विश्लेषण

23. वादी द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 में यह कथन किया गया है कि दिनाँक 27.12.2008 को घर पर वादी की लड़की पीड़िता उम्र करीब 14 वर्ष अकेली थी, जिसे कुंवारे बहला–फुसला कर भगा ले गया है। वादी द्वारा बतौर पी०डब्लू० 1 मुख्य परीक्षा में भी यह कथन किया गया है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग 14 वर्ष थी। पीड़िता द्वारा बतौर पी०डब्लू० 2 अपनी मुख्य परीक्षा में उसकी उम्र के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। अन्य साक्षीगण द्वारा भी घटना के समय पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। पत्रावली पर संलग्न उम्र निर्धारण रिपोर्ट प्रदर्श क–6, जिसकी प्रमाणिकता को अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया है में पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी है। पत्रावली पर पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में कोई शैक्षणिक प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। अतः मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी।

24. न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या मात्र इसी आधार पर कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है तथा पीड़िता अभियुक्त के साथ गयी, यह माना जायेगा कि अभियुक्त द्वारा धारा 363 भा०दं०सं० का अपराध किया गया है अथवा नहीं।

25. इस संबन्ध में **S. Varadarajan Vs State of Madras (A.I.R. 1965, S.C.) 942** की विधि व्यवस्था का उल्लेख करना समीचीन पाता हूँ, जिसमें माननीय उच्तम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि There is distinction between taking and allowing a minor to accompany a person. The two expressions are not synonymous though we would like to guard ourselves from laying down that

in no conceivable circumstance can the two be regarded as meaning the same thing for the purposes of s. 361 of the Indian Penal code. We would limit ourselves to a case like the present where the minor alleged to have been taken by the accused person left her father's protection knowing and having capacity to know the full import of what she was doing voluntarily joins the accused person. In such a case we do not think that the accused can be said to have taken her away from the keeping of her lawful guardian. Something more has to be shown in a case of this kind and that is some kind of inducement held out by the accused person or an active participation by him in the formation of the intention of the minor to leave the house of the guardian.

26. इसी प्रकार **Sanjay Kumar vs State Of U.P. Criminal appeal no. 3175/2017** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Word 'entice' involves an idea of inducement or allurement. One does not entice another unless the latter attempts to do a thing which she or he would not otherwise do.

27. प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा बाबादीन द्वारा बतौर पी०डब्लू० 1 मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु जिरह में स्वंय यह कथन किया गया है कि वादी की लड़की पीड़िता को किसी ने भगाया नहीं था। गाँव के लोगों के कहने के मुताबिक वादी ने कुँवारे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवा दिया था। घटना के समय वादी अपने खेत पर था। किसने लड़की को भगाया था, वादी ने नहीं देखा था। हाजिर अदालत कुँवारे ने वादी की लड़की को बहला–फुसला कर नहीं भगाया था। वादी की लड़की रिश्तेदारी में गयी थी, वह बाद में वापस आ गयी थी। मुल्जिम मथुरा को वादी जानता पहचानता है, इनका इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही वादी की लड़की को भगाने में मथुरा का कोई हाथ है।

28. पीड़िता द्वारा बतौर पी०डब्लू० 2 अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और यह कथन किया गया है कि आज (बयान तिथि) से लगभग 06 साल पहले पीड़िता के पिता जी ने पीड़िता को मारा व डाँटा था, जिससे नाराज होकर पीड़िता अपने मामा के घर पुलिस लाइन बहराइच चली आई और मामा के यहाँ रुक गयी थी। मुल्जिम कुँवारे काम धन्धे के बाबत कभी–कभी पीड़िता के घर आता था। इसीलिए सन्देह के बिना पर पीड़िता के पिता ने कुँवारे द्वारा पीड़िता को बहला–फुसलाकर भगाये जाने के बाबत थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों मुल्जिमान ने पीड़िता को न बहला–फुसला कर भगाया और न ही नेपाल ले गये और न ही मुल्जिमान ने पीड़िता को किसी जगह पर रोका था। पीड़िता मामा के यहाँ चली गयी थी इस बात को घर वापस आने पर अपने पिता को बताया था। अगर पिता जी ने इस बात को अपने बयान में न लिखाया हो तो पीड़िता इसकी कोई वजह नहीं बता सकती है।

29. साक्षी पी०डब्लू० 3 छोटकऊ द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा तथा जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थऩ नहीं किया गया है और यह कथन किया गया है कि साक्षी गाँव के बाबादीन व उसकी पुत्री पीड़िता को जानता है। घटना आज (बयान तिथि) से सवा छह साल पूर्व की है। घटना वाले दिन साक्षी लखनऊ गया हुआ था। रात देर समय साक्षी अपने घर पहुँचा तो साक्षी को अफवाहन पता चला कि मथुरा के सहयोग से कुँवारे पीड़िता को उसके घर

से कहीं भगा ले गये हैं। साक्षी ने मथुरा व कुँवारे को पीड़िता को भगाते हुए नहीं देखा है।साक्षी ने पीड़िता को मुल्जिम कुँवारे व रीता के साथ कहीं नहीं देखा था।

30. साक्षी पी०डब्लू० 4 स्वामी दयाल द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा तथा जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और यह कथन किया गया है कि साक्षी मुल्जिमान मथुरा व कुँवारे को जानता है तथा पीड़िता को भी साक्षी जानता है। ये सब साक्षी के गाँव के हैं। घटना वाले दिन अपने डनलप से भूसा लादकर बहराइच बेचने आया था और रात वापस होकर सो गया था। अगले दिन सुबह साक्षी को किसी ने बताया था कि बाबादीन की लड़की पीड़िता को मथुरा के सहयोग से कुँवारे कहीं भगा ले गया है। कुँवारे, मथुरा व पीड़िता से साक्षी की मुलाकात कहीं भी नहीं हुई थी और न ही साक्षी ने इन लोगों को साथ में देखा था।

31. साक्षी पी०डब्लू० 5 कृपाराम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा तथा जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और यह कथन किया गया है कि घटना आज से (बयान की तिथि से) लगभग सवा छह वर्ष पूर्व की है। साक्षी अपनी भैसों को लेकर चित्तौरा झील के करीब चराने ले गया था और वहाँ से कुछ अन्धेरा होने पर भैसों को लेकर वापस अपने घर आया था। उस दिन साक्षी सासापारा चौराहा नहीं गया था और न ही साक्षी ने बाबादीन के लड़की पीड़िता को कुँवारे के साथ जाते हुए देखा था। घटना वाले दिन साक्षी ने पीड़िता को कुँवारे के साथ नहीं देखा था।

32. अतः उपरोक्त अभियोजन के तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है परन्तु पीड़िता व अन्य तथ्य के साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला–फुसलाकर अथवा बहका कर उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण किया गया। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363 भा०दं०सं० के आरोप को साबित करने में असफल रहा है। जहाँ तक धारा 366 व 368 भा०दं०सं० का प्रश्न है तो अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने असफल रहा है इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध दारा 366 व 368 भा०दं०सं० का आरोप भी साबित नहीं होता है।

33. अतः ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को अभियोजन के साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करना है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा०दं०सं० का आरोप साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के सम्बन्ध में विश्लेषण

34. वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला–फुसला भगा ले जाने का कथन किया गया है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता के धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर अभियुक्त मथुरा के विरुद्ध धारा 376 भा०दं०सं० के अन्तर्गत भी आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला–फुसला कर भगा ले जाने का कथन किया गया है परन्तु पीड़िता के साथ बलात्कार जैसी किसी भी घटना घटित होने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी जिरह में इस बात से भी इन्कार किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला–फुसला कर भगाकर ले जाया गया था।

35. इसी प्रकार पीड़िता द्वारा भी बतौर पी०डब्लू० 2 मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार जैसी कोई घटना कारित करने का कथन किया गया है। तथ्य के अन्य साक्षीगण द्वारा भी बलात्कार जैसी घटना के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है।

36. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर संलग्न पीड़िता की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट तथा पूरक परीक्षण रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर कोई भी बाह्य या आंतरिक चोट आना अंकित नहीं है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में पीड़िता के साथ बलात्कार जैसी घटना होने के सम्बन्ध में कोई भी राय अंकित नहीं की गयी है।

37. अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान में अभियुक्त द्वारा अपने साथ बलात्कार किया जाना बताया है। अतः मात्र धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

38. बचाव पक्ष के योग्य अधिवक्ता द्वारा इस तर्क के खण्डन में कहा गया कि धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान मात्र एक पूर्व कथन है, जिसे खण्डन अथवा सम्पोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और उक्त बयान एक सारवान साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्त को मात्र धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर ही दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। तर्क के समर्थन में **इलाहाबाद गजेन्द्र उर्फ गबडडू बनाम उ० प्र० राज्य, 2015 (3), जे० आई० सी०, 307,** की विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया कि धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान सारवान साक्ष्य नहीं है, बल्कि साक्षी का पूर्व कथन है, जिसका प्रयोग साक्षी के बयान की पुष्टि अथवा खण्डन के उददेश्य से ही किया जा सकता है। यह विधि सिद्वान्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ण रूपेण प्रभावी होता है। पीड़िता द्वारा अपने साक्ष्य में धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान का समर्थन नहीं किया गया है और कथन किया गया है कि पुलिस के बताने के अनुसार उसने बयान दिया था। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन का यह तर्क बलहीन है और स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि मात्र धारा 164 दं०प्र०सं० के आधार पर पीड़िता द्वारा बयान की सम्पुष्टि में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए बलात्कार किया गया। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा०दं०सं० के आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

39. विशेष सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वंय स्वीकार किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध बलात्कार का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित होता है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, इसलिए मात्र अभियुक्त द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को स्वीकार कर लिया गया है।

40. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला–फुसला कर उसकी विधिक संरक्षकता से ले विवाह करने अथवा अयुक्त सम्भोग हेतु विलुब्ध करने के आशय से व्यपहृत किया गया है। अभियोजन यह भी साबित करने में असफल रहा है

कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को अवैध रूप से बन्धकर बनाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए बलात्कार किया गया है। इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366, 368, 376 भा०दं०सं० का आरोप साबित नहीं होता है।

अवधार्य बिन्दु के विश्लेषण का सार।

41. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण द्वारा पूर्णरूप से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366, 368, 376 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायालय के मत में अभियुक्त मथुरा को सन्देह का लाभ देते हुए धारा 363, 366, 368, 376 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

a– सत्र परीक्षण संख्या 1147/2025, सरकार बनाम मथुरा, अपराध संख्या 220/2009, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच के मामले में अभियुक्त मथुरा को धारा 363, 366, 368, 376 भा०दं०सं० के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

b– अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामे एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

c– अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दं०प्र०सं० में विहित उपबन्धों के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो प्रतिभू पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील योजित होने की दशा में, वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विहित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होगा। अपील न होने की दशा में छः माह की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उक्त बन्धपत्र एवं जमानतमाने स्वतः निरस्त हो जायेंगे एवं तद्नुसार प्रतिभूगण उत्तरदायित्व से उन्मोचित हो जायेंगे।

(बृजेश कुमार यादव)
दिनांकः 10.07.2026
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।
JO Code No. UP 1605

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(बृजेश कुमार यादव)
दिनांकः 10.07.2026
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।
JO Code No. UP 1605